प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 जनवरी, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दर्शन पुत्र श्री जानकी, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दर्शन पुत्र श्री जानकी (दिनांक 06.07.2024 तक बन्दी की आयु लगभग 71 वर्ष है) कल्यानपुर, थाना-मल्लावॉं, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लकेर दिनांक 05.07.1981 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गर्दन काट कर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-621/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302, 302/149, 148, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-3, हरदोई के आदेश दिनांक 23.04.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 09.04.2018 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 06.07.2024 के अनुसार बंदी द्वारा अपरिहार 06 वर्ष, 10 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की मात्र की सजा काटी गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 06.07.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष, 10 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 03 माह, 08 दिन मात्र की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की जघन्य प्रकृति (02 व्यक्तियों की हत्या) के आधार पर सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दर्शन (बन्दी संख्या-28218) पुत्र श्री जानकी, निवासी जनपद-हरदोई की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-37/2026/1882(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

2- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।